न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 14/2017

श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री भँवरसिंह जाति रावत निवासी ग्राम शम्भुपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर। ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर। .... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 27.06.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2073 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेडिया तहसील ब्यावर व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 19 रकबा 1–06–00 बीघा किस्म सिवाय चक बारानी–3 मे से 00–08–10 बीघा पर अनाधिकृत रूप से दो दुकानें, हौद, चारदीवारी का निमार्ण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा अतिकमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 331/2016 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 27.10.2016 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध सामग्री को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 27.10.2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद पटवारी हल्का की साक्ष्य लिपिबद्ध कर अपीलान्ट को साक्ष्य, जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया। परिसीमा अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को अचल सम्पति के भौतिक आधिपत्य से बेदखल किये जाने की विधिक समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट 35–40 वर्षो से मकान, बाडे का निमार्ण कर रहवास के रूप में काबिज चला आ रहा है। विवादित भूमि पर ग्राम मेडिया की आबादी क्षैत्र विकसित होकर अपीलान्ट अपने परिवार सहित रहवास करते चले आ रहे है। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 22.11.2012 से प्रश्नगत आराजी आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत मेडिया को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंषा की गई है, किन्तु प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से ग्राम पंचायत मेडिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 30.9.2016 पारित कर विवादित भूमि को आबादी हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को प्रेषित कर एक प्रति मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

D.Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रेषित की गई है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। अपनी बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत दिनांक 17.6.1999 से पूर्व कोई व्यक्ति किसी भूमि पर मय परिवार आवास निर्मित कर भौतिक रूप से निवास कर रहा है तो निर्धारित दर से नियमन राशि मय शास्ति वसूल कर आवासीय सम्परिवर्तन किया जा सकता है। आबादी भूमि से लगती हुई सिवाय चक भूमि पर ग्राम की आबादी विस्तार हो जाने तथा 2004 व उससे पूर्व का निर्माण होने पर आवासीय पट्टा जारी करने के आदेश व निर्देश अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है। इस प्रकार अपीलान्ट उसके भौतिक धारण सम्पति का नियमानुसार प्रीमियम व शास्ति जमा करवाते हुए आवासीय पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी विधिक आधारों पर विवेचन, विश्लेषण नहीं कर विधिक त्रूटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिक प्रकिया के तहत साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आक्षेपित आदेश दिनांक 27.10.2016 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner